अनुदान संख्या 31 - आर्थिक कार्य विभाग
GRANT No. 31–DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीक त-	Voted–				
मूल	Original	4124,84,00	4478,89,00	4418,67,77	–60,21,23
पूरक	Supplementary	354,05,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				20,94,41
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीक त-	Voted–				
मूल	Original	599,12,00	1976,33,00	1956,48,49	–19,84,51
पूरक	Supplementary	1377,21,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				16,29,65

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (6021.23 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 35405.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 17 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.6021.23 lakhs) constituted 17 percent of the supplementary grants of Rs.35405.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2047" अन्य राजकोषीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services				
मू.	O.	1642.00	1500.23	1422.49	–77.74
पू.	S.	198.00			
पु.	R.	–339.77			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2070'' अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services					
मू.	O.	1532.00				
पू.	S.	96.00		1820.40	1674.96	–145.44
पु.	R.	192.40				
मुख्य शीर्ष ''3075'' अन्य परिवहन सेवाएं	Major Head "3075" Other Transport Services					
मू.	O.	220769.00				
पू.	S.	33894.00		257051.00	253625.30	–3425.70
पु.	R.	2388.00				
मुख्य शीर्ष ''3475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services					
मू.	O.	25334.00				
पू.	S.	441.00		21574.40	21447.31	–127.09
पु.	R.	–4200.60				
मुख्य शीर्ष ''3605'' अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग	Major Head "3605" Technical and Economic Co-operation with Other Countries					
मू.	O.	4307.00				
				3853.02	3863.10	+10.08
पु.	R.	–453.98				

(I) 509.00 लाख रु. का प्रावधान (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 500.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''3605'' -''अन्य देशों के साथ सहयोग - विकास सहायता'' के अंतर्गत योजनेतर व्यय संबंधी समिति से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.509.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.500.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3605" - "Co-operation with other countries - Development Assistance" - due to non-receipt of approval from Committee on Non-Plan Expenditure.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2047'' -"अल्प बचतों का संवर्धन - राष्ट्रीय बचत संस्थान'' - 1210.49 लाख रु. के मूल प्रावधान को 198.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1408.49 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 433.58 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) राष्ट्रीय बचत संस्थान में पदों को कम कर दिए जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(A) Major Head "2047" - "Promotion of Small Savings – National Savings Institute" – the original provision of Rs.1210.49 lakhs was augmented to Rs.1408.49 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.198.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.433.58 lakhs (including supplementary grant) - due to reduction of posts in National Saving Institute and economy measures.

(खा) मुख्य शीर्ष "3075'' -"अन्य - लाभांश राहत के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता - रेलवे को अदायगी'' - 170769.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 360.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 171129.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1037.70 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रेलवे द्वारा आर्थिक सहायता का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(B) Major Head "3075" - "Others - Subsidy to Railways towards dividend relief – Payment to Railways" – the original provision of Rs.170769.00 lakhs was augmented to Rs.171129.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.360.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1037.70 lakhs (including supplementary grant) - due to less utilisation of subsidy by Railways.

(गा) मुख्य शीर्ष "3475'' -"अन्य व्यय - भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण'' - 330.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 340.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 137.27 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) मिड-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(C) Major Head "3475" - "Other Expenditure - Training of Indian Economic Service Officers" - the original provision of Rs.330.00 lakhs was augmented to Rs.340.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.137.27 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of mid-career training programme.

(III) मुख्य शीर्ष "3475'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "3475" – savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य व्यय - भारतीय आयात-निर्यात बैंक को ब्याज समानीकरण सहायता'' - 4042.87 लाख रु. की बचत (23200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय आयात-निर्यात बैंक से कम दावे प्राप्त होने के करण हुई।

(A) "Other Expenditure - Interest equalisation support to Exim Bank of India" - saving of Rs.4042.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.23200.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the Exim Bank of India.

(खा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि को अंशदान'' - 136.27 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "International Cooperation - Contribution to Common-Wealth Fund for Technical Cooperation" - saving of Rs.136.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs); and

(IV) मुख्य शीर्ष "3605'' -"संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को अंशदान - अन्य विकास कार्यक्रम'' के अंतर्गत 179.00

(IV) Under Major Head "3605" - "Contribution to United Nations Development Programme -

लाख रु. की बचत (2150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

Other Development Programme" - saving of Rs.179.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2150.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विनिमय दर में परिवर्तन होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to exchange rate variation.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 174.61 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 31 प्रतिशत और 92 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of Rs.174.61 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 31 percent and 92 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2070" -"विशेष जांच आयोग - तेरहवां वित्त आयोग" - 132.17 लाख रु. का अधिक व्यय (96.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1291.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयोग के कार्यालय आवास का अधिक किराया अदा किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2070" - "Special Commission of Enquiry- Thirteenth Finance Commission" - excess of Rs.132.17 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1291.00 lakhs including supplementary grant of Rs.96.00 lakhs) was due to payment of higher rent on office accommodation for the commission.

(खा) मुख्य शीर्ष "3605" -"अन्य देशों के साथ सहयोग - कोलंबो योजना के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता" - 165.20 लाख रु. का अधिक व्यय (596.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय मिलेनियम निधि के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "3605" - "Co-operation with other countries- Technical aid to South and South-East Asia under the Colombo Plan"– excess of Rs.165.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.596.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for conducting programmes under the India Millennium Fund.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 78.02 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 355 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of Rs.78.02 lakhs occurred constituting 355 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4046'' करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4046" Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint				
मू.	O.	50000.00			
पू.	S.	37660.00	88520.00	88518.76	–1.24
पु.	R.	860.00			
मुख्य शीर्ष ''5465'' सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	Major Head "5465" Investment in General Financial and Trading Institutions				
पू.	S.	100000.00	100000.00	99810.00	–190.00
मुख्य शीर्ष ''5475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital outlay on other General Economic Services				
मू.	O.	9211.00			
पू.	S.	60.00	5733.35	5571.40	–161.95
पु.	R.	–3537.65			
मुख्य शीर्ष ''7605'' विदेशी सरकारों को अग्रिम	Major Head "7605" Advances to Foreign Governments				
मू.	O.	400.00			
पू.	S.	1.00	1546.00	1544.77	–1.23
पु.	R.	1145.00			

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''5465'' -''सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय कौशल विकास निगम'' - 100000.00 लाख रु. की निधियां अक्तूबर, 2008 में पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं तथापि, जो, इक्विटी का आवश्यकता के अनुसार उपयोग न किए जाने के कारण 190.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(A) Major Head "5465" - "Investment in General Financial Institutions - Investment in Public Sector and other Undertakings – National Skill Development Corporation" – funds of Rs.100000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant in October, 2008 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.190.00 lakhs - due to non-utilisation of equity as per requirement.

(खा) मुख्य शीर्ष ''5475'' -''अन्य व्यय - सार्वजनिक निजी भागीदारी को मुख्य-धारा में लाने के लिए कार्यकलाप'' - 60.00 लाख रु. की निधियां अक्तूबर, 2008 में पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं जो, तथापि, सार्वजनिक निजी भागीदारी के संवर्धन के लिए कुछ कार्यकलापों में विलंब होने के कारण 28.20 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(B) Major Head "5475" – "Other Expenditure – Activities for mainstreaming Public Private Partnership" – funds of Rs.60.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant in October, 2008 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.28.20 lakhs – due to delay in some activities for promoting Public Private Partnership.

(III) मुख्य शीर्ष ''5475'' -''अन्य व्यय - अवसंरचना विकास के लिए सहायता'' के अंतर्गत 3803.00 लाख रु. की बचत (9210.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "5475" - "Other Expenditure - Assistance for Infrastructure Development" - saving of Rs.3803.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9210.00 lakhs) was due to non-finalisation of procedural formalities.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 96.44 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 32 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of Rs.96.44 lakhs occurred constituting 32 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1975.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत फरवरी, 2009 में 37661.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

4.(I) The above savings were partly (Rs.1975.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.37661.00 lakhs in February, 2009 - under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4046'' -''एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद - सिक्के'' - 860.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 858.76 लाख रु. था।

(A) Major Head "4046" - "Purchase of Coins from SPMCIL - Coins" - Rs.860.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.858.76 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष ''7605'' -''श्रीलंका की सरकार को कर्ज - नया ऋण 1994'' - 1115.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, 1114.71 लाख रु. था।

(B) Major Head "7605" - "Loans to Government of Sri Lanka - New Credit 1994" - Rs.1115.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1114.71 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''5475'' -''अन्य व्यय - भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 131.60 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुमोदित परियोजना के आधार पर प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5475" - "Other Expenditure - India infrastructure Project Development Fund" – excess of Rs.131.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh) was due to requirement of additional funds by sponsoring authority based on approved project.